

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/के-1026/19/

दिनांक-

आदेश

श्री कमलेश चन्द्र शर्मा नर्स श्रेणी द्वितीय (परिवीक्षाधीन), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनेडिया, खण्ड रेलगरा राजसमन्द का स्वयं की बीमारी के कारण से दिनांक 13.07.2018 से 13.08.2018 तक 32 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अतः वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक (2) दो दिवस का परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।




(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/के-1026/19/ 665

दिनांक- 31/07/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेलमगरा, राजसमन्द।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।